

एमएलटी संवर्ग में स्थानान्तरण समिति की अनुशंसा

AGT-2025 के तहत उक्त पद में प्राप्त स्थानान्तरण अनुरोध पर समिति द्वारा कर्मचारी वार की गयी विचारणा निम्नानुसार है :-

A) MLT की रिक्ति निर्धारण समिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

	MHB	Naroda	Ankleshwer	Vapi
S.S.	11*	02	04	04
I.P.	08	01	01	01
Vacancy	03	01	03	03
Occupancy(%)	72	50	25	25

* 5 स्वीकृत पद MHB में ब्लड सेंटर/बैंक के लिए है।

1. हेमलता नहुष आमेठा:-

(a) कर्मचारी ने अपने वर्तमान तैनाती स्थान क.रा.बी.नि.आदर्श अस्पताल बापूनगर में दस साल की सेवा पूर्ण कर ली है। अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में आते है।

(b) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में सिर्फ क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा के लिए स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा में जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपरोक्त स्थानान्तरण के पश्चात सभी अस्पताल में रिक्ति एवं प्रतिशत ओक्युपेन्सी निम्नानुसार हो जाएगी।

(B)

	MHB	Naroda	Ankleshwer	Vapi
S.S.	11	02	04	04
I.P.	07	02	01	01
Vacancy	04	00	03	03
Occupancy(%)	63	100	25	25

2. मितलबेन मितेश कुमार मेवाडा (MLT) :-

- कर्मचारी ने अपने वर्तमान तैनाती स्थान क.रा.बी.नि.आदर्श अस्पताल बापूनगर में दस साल की सेवा पूर्ण कर ली है। अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में आते है।
- कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में स्थानान्तरण हेतु प्रथम विकल्प क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा एवं दूसरा विकल्प अंकलेश्वर दिया गया है।
- सारणी B अनुसार अब नरोडा अस्पताल में रिक्ति नहीं रह गयी है जब की अंकलेश्वर अस्पताल में सिर्फ 25 प्रतिशत ओक्युपेन्सी है।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर में जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपरोक्त स्थानान्तरण के पश्चात सभी अस्पताल में रिक्ति एवं प्रतिशत ओक्युपेन्सी निम्नानुसार हो जाएगी।

	MHB	Naroda	Ankleshwer	Vapi
S.S.	11	02	04	04
I.P.	06	02	02	01
Vacancy	05	00	02	03
Occupancy(%)	54	100	50	25

3. भरत कुमार चोवटिया (MLT) :-

- कर्मचारी वर्तमान में क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा में दिनांक 10.11.2015 से तैनात है।
- AGT 2025 की कटऑफ दिनांक 01.04.2024 के अनुसार कर्मचारी के वर्तमान तैनाती स्थान पर 8 साल 4 महीने और 22 दिन हुए है। अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। **परन्तु**
 - कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में स्थानान्तरण हेतु प्रथम विकल्प क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर, दूसरा विकल्प अंकलेश्वर एवं तृतीय विकल्प वापी अस्पताल दिया गया है।

- ii. उपरोक्त पैरा 1 एवं 2 में क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से दो कर्मचारियों का अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में होने से स्थानान्तरण किया गया है।
- iii. बापूनगर अस्पताल में आईपीडी एवं ओपीडी की द्रष्टि से वर्कलोड काफी ज्यादा है तथा स्थानान्तरण निति के पैरा 2(a, b, d & e) के अनुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा से क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर में उनके निवेदन अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपरोक्त स्थानान्तरण के पश्चात सभी अस्पताल में रिक्ति एवं प्रतिशत ओक्युपेन्सी निम्नानुसार हो जाएगी।

	MHB	Naroda	Ankleshwer	Vapi
S.S.	11	02	04	04
I.P.	07	01	02	01
Vacancy	04	00	02	03
Occupancy (%)	63	50	50	25

4. सेजलबेन अल्पेशभाई पांड्या :-

- a) कर्मचारी वर्तमान में क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर में दिनांक 19.12.2024 से तैनात है।
- b) मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है।
- c) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में स्थानान्तरण हेतु प्रथम विकल्प क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर एवं दूसरा विकल्प नरोडा दिया गया है।

सिफारिश: कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।

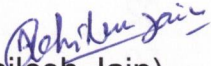
5. प्रभात कुमार :-

- a) कर्मचारी वर्तमान में क.रा.बी.नि. अस्पताल वापी में दिनांक 17.05.2022 से नियुक्त है।
- d) मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है।

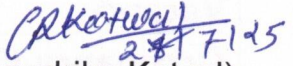
e) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में स्थानान्तरण हेतु प्रथम विकल्प क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर एवं दूसरा विकल्प नरोडा अस्पताल दिया गया है।

सिफारिश: कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।

- यह पद सेंसिटिव नहीं है अतः इस पद पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी को एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति C.No.: 779649 File No.: Z-11/11/1/Misc/2021-Med.VI-Part(3) के अनुसार किसी अन्य कर्मचारी के एक ही संस्थान में दस साल पूर्ण नहीं होते हैं, अतः कोई भी कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण(Mandatory Transfer) के अंतर्गत नहीं आता है।
- उपरोक्त के आलावा, उक्त संवर्ग में AGT-2025 के तहत अन्य किसी कर्मचारी से स्थानान्तरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।


(Dr. Akhilesh Jain)
(Chairperson)

(Dr. Paresh Acharya)
(Member)


(Smt. Chandrika Kotwal)
(Member)